गौर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति व आकस्मिकता व प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कालीखेड़ा पटवार हल्का बासड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर के भूमि ख.न 55, 58, 61 कुल किता 3 रकबा 1.65 है0 व ख.न. 62 रकबा 0.30 है0 में अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि आगामी आदेश तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

689-92
24/6/2

उक्त अन्त0रिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 03 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.07.2024 को पेश हो।

5/7/24

प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र मिसल तलबी व विड्रा पेश किया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मिसल तलबी स्वीकार किये जाने पर पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी से तलब होगी

Scanned with OKEN Scanner

तथा प्रार्थना पत्र विड्रा प्रार्थिया पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण मे पक्षकारो के मध्यस्थता हो गया है। तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नही चलाना चाहते है। अतः प्रार्थना विड्रा स्वीकार कर हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा किये जाने की अनुमति चाही है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विड्रा न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली मे आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो, निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

[illegible signature]

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)